बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–4 / क्षे०स्था०सेवा नीति–(रा०क०)–06 / 09 रा०– 30 (5) 210 पटना–15, दिनांक– 18/1/12

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य के क्षेत्रीय हल्का कार्यालयों के राजस्व कर्मचारियों की भर्त्ती, एवं अन्य सेवाशर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(i) यह नियमावली बिहार "राजस्व कर्मचारी सम्वर्ग नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना की तिथि को प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**–इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो:–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है जिला समाहर्त्ता (जिला पदाधिकारी);

(iii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग; तथा

(v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. **संवर्ग का गठन।**–(i) इस सेवा या सम्वर्ग में राजस्व कर्मचारी कोटि के पद होंगे। यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा।

(ii) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व इस कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस सम्वर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

(iii) मंजूर किये गए बल की संख्या, राज्य सरकार, समय–समय पर, घटा बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या निलंबित संचरण के अधीन रख सकेगी।

4. **मंजूर बल।**–पंचायत का क्षेत्राधिकार हल्का में किये जाने के फलस्वरूप, राज्य में कुल हल्कों की संख्या 8463 है। प्रत्येक हल्का के लिए एक राजस्व कर्मचारी अर्थात् पदों की कुल संख्या–8463 होगी।

5. **उम्र सीमा।**– राजस्व कर्मचारी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित किया गया हो उस वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, नियत की जाय।

6. **आरक्षण।**–इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

7. **भर्ती।**–(i) राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती, आयोग द्वारा मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियत मापदडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए, आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(ii) राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए, अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

8. **परिवीक्षा एवं अवधि।**– (क) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक राजस्व कर्मचारी, पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए, परिवीक्षा पर रहेगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान राजस्व कर्मचारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि उसके आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है। बढ़ायी गयी अवधि में भी यदि आचरण एवं सेवा असंतोषजनक पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण।**–राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में, विभाग, समय–समय पर, निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा निर्धारित की जाती है तो उसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होगी।

10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।**–विभाग, समय–समय पर, विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम नियत कर सकेगा।

11. **सेवा में सम्पुष्टि।**–परिवीक्षा पर नियुक्त राजस्व कर्मचारी, परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्रता–प्राप्त होगाः–

(i) यदि विभाग कोई विभागीय परीक्षा विहित करता है तो उसने उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो,

(ii) समय–समय पर विहित प्रशिक्षण उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा, यदि आयोजित की गयी हो, उत्तीर्ण हो चुका हो। अमानत की उपाधि अनिवार्य होगी एवं

(iii) इस अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो।

12. **वेतन।**–नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी का वेतनमान–5200–20200 एवं ग्रेड पे–1900 या, समय–समय पर, सरकार द्वारा यथा पुनरीक्षित या वेतनमान के समकक्ष हो।

13. **वरीयता।**–इस संवर्ग के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के आधार पर होगा।

14. **प्रकीर्ण।**–स्थापना सम्बंधी विषयों पर नियंत्रण–(i) इस संवर्ग के सदस्यो की नियुक्ति एवं स्थापना सम्बन्धी सभी विषय सम्बन्धित जिला पदाधिकारी के अधीन होगा।

(ii) इस सम्वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण, प्रोन्नति एवं स्थापना सम्बन्धी सभी विषय नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रण के अधीन होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृति।**–विभाग से निर्गत राजस्व कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी सभी पूर्व परिपत्र निरसित समझे जायेंगे। ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व सरकारी परिपत्रों के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ कानूनन विधिमान्य रहेंगी, मानो वे इस नियमावली के सुसंगत उपबधों के अधीन की गयी हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०) 17.1.12

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 4/क्षे०स्था०सेवा नीति–(रा०क०)–06/09 रा०– 30(4)रा० पटना–15, दिनांक– 18/1/12

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

(ह०) 17.1.12

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 4/क्षे०स्था०सेवा नीति–(रा०क०)–06/09 रा०– 30(4)रा० पटना, दिनांक– 18/1/12

प्रतिलिपि– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 17.1.12

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 4/क्षे०स्था०सेवा नीति–(रा०क०)–06/09 रा०– 30(4)रा० पटना, दिनांक– 18/1/12

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस सूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(ह०) 17.1.12

(सी० अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

Government of Bihar
Department of Revenue & Land Reforms

NOTIFICATION

No. ....30(4).......... dated ..18/1/12..

In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and other service conditions of the Rajaswa Karmachari of regional halka offices of the State of Bihar.

1. Short title, extension and commencement.-(i) These Rules may be called "The Bihar Rajaswa Karmachari Cadre Rules, 2011".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force on the date of notification.

2. Definitions.-In these rules, unless there is any thing contrary to the subject or context:-

(i) "State Government" means the Government of Bihar.

(ii) "The appointing authority" means the Collector of the district (District Magistrate).

(iii) "Cadre Controlling Authority" means the Principal Secretary, Department of Revenue and Land Reforms, Bihar.

(iv) "Department" means Department of Revenue and Land Reforms, Bihar.

(v) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission.

3. Constitution of the Cadre.-(i) This Service or cadre shall have the post of the category of Rajaswa Karmachari. This cadre shall be of district level.

(ii) A person appointed and acting in this category prior to application of these rules shall automatically be deemed to be included in this category.

(iii) The State Government may from time to time enhance or decrease the number of sanctioned strength or may keep any number of posts under suspended animation.

4. Sanctioned Strength.-As a result of jurisdiction of halka been made co-terminos with that of Panchayat the total number of halkas are 8463. There shall be a Rajaswa Karmachari for every halka meaning thereby the total number of posts shall be 8463.

5. Age limit.-The minimum age of the candidate for Rajsawa Karamchari shall not be less than 18 years on 1st of August of the year in which application has been invited. The maximum age limit shall be the same as fixed from time to time by the Department of General Administrative of the State Government.

6. Reservation.-The provisions of reservation/ roster as fixed from time to time by the State Government shall be applicable in the appointment in this cadre.

7. Recruitment.-(i) The direct appointment to the post of Rajaswa Karmachari shall be made on the basis of the recommendation obtained, based on the result of competitive examination conducted by adhering criteria and procedure fixed for Matric level competitive examination.

(ii) It would be essential for the candidate to have matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or equivalent institution for the appointment to the post of Rajaswa Karmachari.

8. Probation and Period.-(a) Every Rajaswa Karmachari appointed against the basic vacant post shall remain on probation for a period of two years from the date of taking the charge.

(b) In case the conduct and service of a Rajaswa Karmachari is not found to be satisfactory during the probation period the probation period may be extended for a period of another one year, if it appears that there is a possibility of an improvement in his conduct and service. If the conduct and service is found unsatisfactory even during the extended period, his services could be terminated

9. Training.-The department is free to take decisions from time to time with regard to imparting training to Rajaswa Karmachari.

10. Departmental Exam and syllabus.-The department from time to time may fix the departmental examination and the syllabus.

11. Confirmation in Service.-The Rajaswa Karmachari, appointed on probation shall be eligible for confirmation on expiration of the probation period subject to following conditions:-

(i) If the department prescribes any departmental examination, he has passed in it.

(ii) He has received training prescribed, from time to time, and at the end of training passed the examination, if conducted any. The degree of Amanat shall be essential; and

(iii) Service and conduct shall be satisfactory in this period.

12. Pay Scale.-The pay scale of the newly appointed Rajaswa Karmachari shall be 5200-20,200 and grade pay 1900 or as revised from time to time by the Government or equivalent to pay scale.

13. Seniority.-The Seniority of the members of this cadre shall be determined on the basis of the principles and procedure fixed by the Department of General Administration of the State Government.

14. Miscellaneous.-Control over matter related to Establishment.-(i) The Appointment and all matters relating to establishment of members of this cadre shall be under the District Magistrate concerned.

(ii) The appointment, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority list, promotion and all matter relating to establishment of the members of this cadre shall be under the control of Appointing Authority.

15. Savings and Repeal.-All earlier circulars related to the appointment of Rajaswa Karmachari issued by the department shall be treated as repealed. Notwithstanding such repeal, all appointments made under earlier Government Circulars shall remain legally valid as if they were made under relevant provisions of these Rules.

By the order of Governor of Bihar

C. Ashokvardhan 14.1.12
(C. Ashokvardhan)
Principal Secretary

No.-4/Ksh.Estt.Seva Niti-(Ra.Ka.)-06/09- 30(4)Ra, Patna-15, Dated- 18/ 1 /2012

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

C. Ashokvardhan 14.1.12
(C. Ashokvardhan)
Principal Secretary

No.-4/Ksh.Estt.Seva Niti-(Ra.Ka.)-06/09- 30(4) Ra, Patna-15, Dated-18/ 1 /2012

Copy forwarded to All Department/All Head of the Departments/All Divisional Commissioners / All District M agistrates/All Treasury Officers for information and necessary action.

C. Ashokvardhan 14.1.12
(C. Ashokvardhan)
Principal Secretary

No.-4/Ksh.Estt.Seva Niti-(Ra.Ka.)-06/09- 30 Ra, Patna-15, Dated- 18 / 1 /2012

Copy forwarded to the Superintendent, Government Press. Gulzarbag, Patna for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge of general public.

Kindly send 500 copies of special Gazette to the Revenue & Land Reforms Department, Bihar, Patna.

C. Ashokvardhan 14.1.12
(C. Ashokvardhan)
Principal Secretary